Duties for G.R.Ps.

2207. SHRI D. P. YADAV: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state the defined duties for the G.R.Ps. posted at different Railway Stations.

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS & IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): The duties of G.R.Ps. posted at Railway Stations are as follows:

1. Detection and investigation of offences, cognizable by the Railway Police.

2. Inquiry and report under section 132 of the Railway Act of 1890.

3. The arrest and detention of offenders in cognizable cases and other cases in which arrest is authorised by law.

4. The prosecution in Court of cognizable offences and non-cognizable offences under the Railway Act.

5. The reporting of all instances of oppression and fraud on the part of Railway subordinates or others.

6. The travelling in passenger trains of specially selected officers and men for the prevention and detection of crime and for the surveillance of suspicious persons.

7. The entry in prescribed register and books of offences, reports and complaints of all descriptions brought to the notice of the Police.

8. Control of passenger traffic inside the station premises more particularly on the platforms, in the booking offices, waiting halls and at the entrance and exit gates wherever specially required on emergencies by the station officials.

9. The control of vehicular and other traffic in the station compound.

10. The maintenance of order in standing passenger trains, prevention of over-crowding etc.

11. Watching loaded passenger trains when standing in stations.

12. The arrest of those found committing nuisance or suffering from infectious diseases and keeping the station premises clear of idlers and beggars.

13. Examination of all empty carriages on arrival at terminal stations for property left behind passengers and to see that carriage fittings have not been tampered with.

14. The removal of bodies of persons dying in trains and on stations premises and conveyance to hospital of sick passengers.

रामपुर-बस्तर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन्द्रावती नदी पर पुल

2208. **श्री लक्ष्मण कर्मा:** क्या **नौवहन और परिवहन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रामपुर-बस्तर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इन्द्रावती नदी पर पुल का निर्माण करने हेतु कोई सर्वेक्षण किया गया था;

(ख) यदि हां, तो इस उपरी-पुल का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाएगा; और

(ग) क्या यह सच है कि इस संबंध में राज्य सरकार ने केन्द्रीय सरकार को भी पत्र लिखा है?

नौवहन और परिवहन मंत्रालय में राज्य-मंत्री (श्री बूटा सिंह) : (क) हां।

(ख) पुल के लिए अनुमान जनवरी, 1981 में स्वीकृत किए गए हैं। इसके लिए राज्य के लोक निर्माण विभाग द्वारा टेंडर मंगाने और इन पर निर्णय लेने के

बाद ही यह कहा जा सकता है कि निर्माण कार्य कब आरम्भ होगा।

(ग) नहीं।

परादीप पत्तन द्वारा उठाई गयी हानि

2209. **श्री रामावतार शास्त्री** : क्या नौवहन और परिवहन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि परादीप पत्तन के चेयरमैन ने पत्तन न्यास द्वारा उठाई गयी हानि से संबंधित तथ्य को स्वीकार कर लिया है;

(ख) यदि हां, तो गत 3 वर्षों के दौरान कितनी-कितनी हानि हुई और तत्संबंधी कारण क्या हैं; और

(ग) सरकार का इस घाटे को कैसे पूरा करने का विचार है?

नौवहन और परिवहन मंत्री (श्री वीरेन्द्र पाटिल): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान परादीप पत्तन न्यास द्वारा उठाई गई हानि निम्नलिखित है:—

1977-78	2.44 करोड़ रुपये
1978-79	3.60 करोड़ रुपये
1979-80	3.64 करोड़ रुपये

उपरोक्त हानि के लिए जिम्मेदार कारण निम्नलिखित है:—

(i) पत्तन के द्वारा लौह अयस्क के यातायात में भारी गिरावट,

(ii) पत्तन के कर्मचारियों के वेतन-मानों तथा मजूरी में प्रायः की जाने वाली वेतन वृद्धि,

(iii) अनुरक्षण तथा उत्तरी समुद्री किनारे का रख-रखाव, समुद्री दीवार का अनुरक्षण, निकर्षण तथा गैर शहरी इलाके में स्थित होने के कारण सफाई सुविधाओं की व्यवस्था आदि जो कि गैर लाभकारी है, की व्यवस्था का किया जाना।

(ग) परादीप पत्तन की वित्तीय स्थिति में सुधार लाने के लिए यह आवश्यक है कि लौह अयस्क के निर्यात में वृद्धि की जाए तथा सामान्य माल के उतार-लदान की सुविधाओं में वृद्धि की जाए । इस प्रयोजन के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं:—

(i) अयस्क लदान उतार संयंत्र में सुधार तथा आशोधन की योजना पर कार्य किया जा रहा है तथा इसके 1983 में पूरा होने पर पत्तन 4 मिलियन टन प्रतिवर्ष लौह अयस्क का उतार-लदान कर सकेगा।

(ii) एक दूसरी सामान्य माल बर्थ का निर्माण किया जा रहा है।

(iii) एक तीसरी सामान्य माल बर्थ के निर्माण के प्रस्ताव को छठी पंचवर्षीय योजना में शामिल किया गया है।

Loading of Coal

2210. SHRI K. PRADHANI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the loading of coal has increased substantially;

(b) if so, the quantity of average daily loading of coal in December, 1980 and January, 1981;

(c) whether it is a fact that the movement of coal to power houses had also been stepped up; and

(d) if so, the average quantity of daily movement of coal to power houses?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS & IN THE DEPARTMENT OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI MALLIKARJUN): (a) & (b). Yes. The daily average loading of coal which was 9,447 wagons in December '80 increased to 9,639 in January '81.

(c) & (d) Yes, The daily average loading of coal to power houses increased to 3,966 wagons in February 1981